

# कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) धमतरी

## जिला-धमतरी (छ0ग0)

ज्ञाप क्रमांक/स्था./2023/शिक्षा वि./5753 धमतरी, दिनांक : 10/08/2023

//विज्ञप्ति//

विषय :- शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मानदेय आधार पर शिक्षा सेवा प्रदाता के पद पर कार्य लेने बाबत।

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत है कि जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/ हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 08 माह की अवधि के लिये (अगस्त से अप्रैल-2024 तक) जिले के डी.एम.एफ मद से निश्चित मानदेय आधार पर शिक्षा सेवा प्रदाता के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था किये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

1. शिक्षा सेवा प्रदाता व्यवस्था :- यह व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी।
2. शैक्षणिक योग्यता :- सहायक शिक्षक हेतु 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। शिक्षक हेतु संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण। व्याख्याता हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण।
3. उद्देश्य :- संबंधित शिक्षा सेवा प्रदाता की व्यवस्था जिले में विषय शिक्षकों की कमी एवं छात्रहित हेतु।
4. शिक्षा सेवा प्रदाता चयन हेतु वरियता क्रम:-
  - 4.1 शिक्षा सेवा प्रदाता सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता चयन मेरिट आधार पर किया जावेगा। बी.एड./डी.एड को प्राथमिकता दी जावेगी। शिक्षा सेवा प्रदाता हेतु निम्नानुसार अंक देय होंगे -
    1. शिक्षा सेवा प्रदाता सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर होगा।
    2. शिक्षा सेवा प्रदाता शिक्षक माध्यमिक शाला हेतु 12 वीं के प्राप्तांक, स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर होगा।
    3. शिक्षा सेवा प्रदाता व्याख्याता-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर होगा।
    4. बी.एड./ डी.एड पर 10 प्रतिशत अंक अतिरिक्त देय होगा।
    5. उसी ग्राम पंचायत के निवासी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा।
    6. उसी विकासखण्ड के निवासी होने पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा।
    7. धमतरी जिले के मूल निवासी होने पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा।
    8. बाहर जिले के निवासी चयन प्रक्रिया अपात्र होंगे एवं चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
    9. यदि कोई अभ्यर्थी विगत वर्ष उसी स्कूल में पिछले वर्ष अध्यापन कार्य हेतु सेवा दिया हो तो (जिस स्कूल के लिये आवेदन कर रहा हो) उस अभ्यर्थी को 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा। इसके लिये अभ्यर्थी को संस्था प्रमुख एवं शाला विकास समिति द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही अंक देय होंगे।
  - 4.2 इनमें से किसी भी परिस्थिति में हायर सेकेण्डरी/ स्नातक/स्नातकोत्तर में हायर सेकेण्डरी में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदकों का चयन किया जावेगा।

5. अभ्यर्थी को दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की होनी चाहिये। अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट शासनादेशानुसार यथावत लागू रहेगा, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6. मानदेय :- अतिथि शिक्षक प्राथमिक को 8000.00 रु, माध्यमिक 10000.00 रु. एवं हाई /हायर सेकेडरी के शिक्षक को 12000.00 रु. मानदेय दिया जावेगा। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन उपरांत संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
7. उपस्थिति :- संस्था प्रमुख द्वारा शिक्षा सेवा प्रदाता की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जावेगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर अनुपातिक रूप से मानदेय में कटौती की जावेगी।
8. चयन प्रक्रिया :-  
चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	प्राप्तांक (प्रतिशत) का	कुल अंक
1	2	3	4
1	शिक्षा सेवा प्रदाता (व्याख्याता) हाई/हायर सेकेण्डरी	स्नातकोत्तर – 50% स्नातक – 15% अनुभव प्रमाण पत्र (केवल उसी संस्था का मान्य होगा जिस स्कूल के लिये पिछले वर्ष सेवा दिया हो) – 5% बी.एड/डी.ए – 10% संबंधित ग्राम पंचायत का मूल निवासी – 10% संबंधित विकासखण्ड का मूल निवासी – 5% धमतरी जिला का मूल निवासी – 5%	100 अंक
2	शिक्षा सेवा प्रदाता (शिक्षक) माध्यमिक शाला	स्नातक – 50% हायर सेके. – 15% बी.एड/डी.ए – 10% अनुभव प्रमाण पत्र (केवल उसी संस्था का मान्य होगा जिस स्कूल के लिये पिछले वर्ष सेवा दिया हो) – 5% संबंधित ग्राम पंचायत का मूल निवासी – 10% संबंधित विकासखण्ड का मूल निवासी – 5% धमतरी जिला का मूल निवासी – 5%	100 अंक
3	शिक्षा सेवा प्रदाता (सहा.शिक्षक) प्राथमिक शाला	हायर सेके. – 65% बी.एड/डी.ए – 10% अनुभव प्रमाण पत्र (केवल उसी संस्था का मान्य होगा जिस स्कूल के लिये पिछले वर्ष सेवा दिया हो) – 5%	100 अंक

	संबंधित ग्राम पंचायत का मूल निवासी - 10%	
	संबंधित विकासखण्ड का मूल निवासी - 5%	
	धमतरी जिला का मूल निवासी- 5%	

**9. आवेदन जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश :-**

8.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में डाक के माध्यम से अथवा सीधे/व्यक्तिगत रूप से संबंधित स्कूल के संस्था प्रमुख के पास दिनांक 18/08/2023 तक जमा कर सकते हैं। समयावधि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर उक्त आवेदन में कोई विचार नहीं किया जावेगा। शिक्षा सेवा प्रदाता वाले स्कूलों की सूची विज्ञापित पत्र के साथ संलग्न है एवं जिले के वेबसाइट [www.dhamtari.gov.in](http://www.dhamtari.gov.in) में, कार्यालय कलेक्टर, जिला शिक्षा कार्यालय, समस्त विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय, समस्त जनपद कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत, संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड में अवलोकन कर सकते हैं।

8.2 मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही उपरोक्तानुसार अंक दिये जायेंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अंक के पात्र नहीं होंगे।

8.3 चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी किया जावेगा।

**10. अन्य शर्तें :-**

9.1 शिक्षा सेवा प्रदाता मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी भी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

9.2 यह व्यवस्था केवल 08 माह की अवधि के लिये मान्य होगा। यदि शाला में नियमित शिक्षक की नियुक्ति/पदस्थापना होती है तो शिक्षा सेवा प्रदाता की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी, इसके लिये पृथक से कोई आदेश नहीं दिया जावेगा।

9.3 शिक्षा सेवा प्रदाता की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी इस कार्यालय द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

9.4 शिक्षा सेवा प्रदाता की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगाम क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।

9.5 चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9.6 रिक्त पद के लिये किसी भी प्रकार का आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

अतः शासन के नियमानुसार शिक्षा सेवा प्रदाता के पद पर कार्य लेना सुनिश्चित करें, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सकेगा।

संलग्न:- विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है।



डिप्टी कलेक्टर

एवं पदेन अध्यक्ष


जिला-धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था./2023/शिक्षा वि./ 5754  
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक : 10/08/2023

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सभाग रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ।
5. उपसंचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय धमतरी को सूचनार्थ। कृपया दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु।

6. नोडल अधिकारी एन.आई.सी. जिला धमतरी को सूचनार्थ । कृपया जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति अपने कार्यालय, जनपद, संबंधित स्कूल के ग्राम पंचायत, संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड में तत्काल चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
8. प्राचार्य/संस्था प्रमुख (संबंधित संस्था) ..... को सूचनार्थ/पालनार्थ।
9. अध्यक्ष/सचिव शाला विकास एवं प्रबंधन समिति ..... को सूचनार्थ/पालनार्थ।

  
डिप्टी कलेक्टर  
एवं पदेन अध्यक्ष  
जिला-धमतरी (छ.ग.)

